बिहार राज्य व अन्य

बनाम

बिहार वेटनरी एसोसिएशन व अन्य

(सिविल अपील संख्या 1507/2008)

फरवरी 22, 2008

[ए. के. माथुर व अल्तमस कबीर, JJ.]

सेवा कानूनः

निर्धारक कारकों में समान वेतनमान का दावा-बिहार पशुपालन सेवा के साथ भारतीय पशु चिकित्सा सेवा में कार्यरत पशु चिकित्सकों द्वारा समानता का दावा-फिटमेंट समिति की सिफारिशों को चुनौती-फिटमेंट समिति की सिफारिशों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप-निर्धारित किया गयाः गारण्टी नहीं है-फिटमेंट समिति ने बिहार राज्य में लेखा शर्तें प्राप्त करने के बाद पशु चिकत्सकों और अन्य सेवाओं जैसे-केन्द्र सरकार की सेवा में कर्तव्य निर्वहन में किये गये कार्य का सन्तुलन बनाया और वेतनमान की सिफारिश की-इसलिये, इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं था- वहीं सेवा का एक वर्ग चुनना और उच्चतर वेतनमान देना जैसा केन्द्र सरकार में उपलब्ध है, पूरे संतुलन को बाधित करने के समान है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में जटिल स्थिति होती है एवं इससे राज्य की वित्तीय स्थिति बर्बाद हो सकती है।

प्रशासनिक कानूनः

न्यायिक समीक्षा-वेतनमान के अनुदान के संबंध में फिटमेंट समिति की सिफारिशों के साथ हस्तक्षेप-विस्तार-निर्धारित किया-वेतनमान देना विशुद्घ रूप से कार्यकारी कार्यवाही है। और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता-विशेषज्ञ निकाय उचित मंच है।

प्रतिवादी संख्या 1 बिहार राज्य के पशु पालन विभाग की सेवा में कार्यरत पशु चिकित्सकों का एक पंजीकृत संघ है और प्रतिवादी संख्या 2 से 9 इसके विभिन्न पदों पर कार्यरत सदस्य हैं। प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका इस आधार पर दायर की कि फिटमेंट कमेटी ने गलती से भारतीय पशु चिकित्सक सेवा के लिये पांचवे वेतन आयोग द्वारा दिये गये बुनियादी वेतनमान 8,000-13,500/-रूपये के स्थान पर बिहार पशु पालन सेवा के लिये संशोधित वेतनमान 6,500-10,500/-रूपये की सिफारिश की है और फिटमेंट समिति का कार्य केवल वेतनमान की अनुसंशा करना था जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया था, लेकिन इसके स्थान पर फिटमेंट समिति ने कम वेतनमान की सिफारिश की। एकल उच्च न्यायालय के जज ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि बिहार पशुपालन में सेवारत पशु चिकित्सक को 8,000-13,500/-रूपये का वेतनमान दिया जाए जैसा कि केन्द्रीय पशु चिकित्सा सेवा के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य वेतनमान की समानता के आधार पर प्रदान किया।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी इसकी पुष्टि की इसलिये वर्तमान अपील की गई।

अपील को अनुमति दी गई, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः-

1.- भारतीय पशु पालन सेवा के सदस्यों एवं बिहार पशुपालन में सेवारत पशु चिकित्सक सेवा के सदस्यों के बीच समानता नहीं हो सकती। इस राज्य की सेवा के सदस्यों को वेतनमान रूपये 6,500-10,500/-रूपये दिया जा रहा है। बिहार पशुपालन सेवा के कार्मिक भी राज्य प्रशासनिक सेवा के बराबर है। इसलिए वे राज्य सेवा से उच्चतर वेतन प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि फिटमेंट समिति ने इन पशु चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुये बिहार

राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए संशोधित वेतनमान रूपये 6,500-10,500/-की अनुसंशा की। राज्यों में वेतनमान समय-समय पर वेतन आयोगों की सिफारिश पर संशोधित किये जाते हैं। सेवा के विशेष वर्ग में समानता विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। वेतन आयोग काे राज्य की विभिन्न सेवाओं के वेतनमानों पर विचार करना होगा और फिर राज्य में वेतनमान का एक पदानुक्रम बनाना होगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान या दो राज्यों के बीच भी समान वेतनमान होना संभव नहीं है। वेतनमान मूलतः सरकार के संसाधनों निर्भर करता है। यह हमेशा संभव नहीं है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संसाधन और दो राज्यों के बीच मामला समान हो। इसलिये वेतनमान तय करने और सिफारिश करने के लिए फिटमेंट कमेटी को सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा। यह सही है कि फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि फिटमेंट कमेटी को राज्य की आर्थिक बाधाओं और विकास कार्यक्रमों के संसाधनों की आवश्यकता पर विचार किए बिना सिफारिश करने की आवश्यकता थी और यह भी प्रचारित किया गया था कि फिटमेंट कमेटी वित्तीय परिणामों की बाधा नहीं रखती है। लेकिन इसके बावजूद समिति ने विस्तृत चर्चा के बाद 6,500-10,500/-रूपये के वेतनमान की सिफारिश की और प्रत्यर्थी संघ के सदस्यों को समान वेतनमान प्रदान किया गया। यह बताया गया कि पशु चिकित्सा अधिकारी का पद उन चिकित्सा अधिकारियों के बराबर है जिन्हें एम बी बी एस डिग्री उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त किया जाता है और इन डाॅक्टरों को उनके मूल वेतन का 25% गैर प्रेक्टिसिंग भत्ते के रूप में दिया जाता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुये फिटमेंट कमेटी ने पहले ही इन कर्मचारियों को बिहार राज्य के समूह 'बी' अधिकारियों के लिए स्वीकार्य वेतनमान 6,500-10,500/-रूपये की सिफारिश की। **[Para 4][229-A-G,230-A,B]**

[एस.सी. चन्द्रा व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य (2007)8SCC 279, हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज(2003)6 SCC 123]

2.- वेतनमान देना पूरी तरह से कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उचित मंच एक विशेषज्ञ निकाय है और वर्तमान मामले में विशेषज्ञ निकाय ने विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद 6,500-10,500/-रूपये के वेतनमान की सिफारिश की। विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ को उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। **[Para4] [230-D,E]**

3. फिटमेंट समिति ने बिहार राज्य की स्थितियों और केन्द्र सरकार की सेवाओं की तुलना में पशु चिकित्सकों और अन्य सेवाओं द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन बनाने का कार्य किया है। और फिटमेंट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये विभिन्न साक्ष्यों को देखने के बाद 6,500-10,500/-रूपये वेतनमान की सिफारिश की गई। इसलिए एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ के द्वारा इस निष्कर्ष को बाधित करने के लिए यह ना तो उचित था और ना ही इसमें हस्तक्षेर करना सही था। यदि अदालतें किसी विशेष श्रेणी की सेवा में वेतनमान की सिफारिशों को बाधित करना शुरू कर देती है तो इसका सभी संबंधित सेवाओं पर व्यापक प्रभाव पडने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप विविध मुकदमेबाजी हो सकती है। फिटमेंट कमेटी ने कवायद शुरू की और बिहार राज्य में वेतनमान के थोक संशोधन की

सिफारिश की और यदि सेवा की एक श्रेणी को उठाया जाता है और केन्द्र सरकार में उपलब्ध उच्च वेतनमान दिया जाता है तो पूरा संतुलन बिगड सकता है और अन्य सेवायें प्रभावित होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में जटिल स्थिति पैदा होगी और राज्य का वित्त बर्बाद हो सकता है। इसलिए फिटमेंट समिति की सिफारिश में विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।**[Para 4][231-A,B,C,D,E]**

सिविल अपील न्याय निर्णयः सिविल अपील संख्या-1507/2008

पटना उच्च न्यायालय के एल पी ए सं. 886/2005 में दिनांक 30.11.2006 के निर्णय और आदेश से

1. मनीष कुमार एवं गोपाल सिंह, अपीलार्थी की ओर से

2. राजू रामचन्द्रन, अखिलेस कुमार पांडे, सुधांशु सरन और तुलिका मुखर्जी, प्रत्यर्थी की ओर से।

जस्टिस ए.के. माथुर द्वारा न्यायालय का निर्णय किया गया

01- अनुमति प्रदान की गई।

02- यह अपील पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 886/2005 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2006 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को पशु चिकित्सकों को 8000-13,500/-रूपये का वेतनमान देने का निर्देश दिया।

03- इस अपील के निपटारे के लिये आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या-1 बिहार राज्य के पशुपालन विभाग की सेवा में कार्यरत पशु चिकित्सकों का एक पंजीकृत संघ है और प्रतिवादी संख्या 2 से 9 इसके सदस्य है। उपरोक्त एसोशिएशन बिहार राज्य के पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत है। इस पर प्रतिवादियों ने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में उठाई गई शिकायत यह भी कि फिटमेंट कमेटी ने राज्य सरकार के संकल्प में निहित संदर्भ की शर्तों काे नजरअंदाज कर दिया और गलती से बुनियादी ग्रेड में सेवारत पशु चिकित्सकों के लिये 6,500-10,500/-रूपये के के स्थान पर बिहार पशुपालन सेवा में 8,000-13,500/-रूपये संशोधित वेतनमान की सिफरारिश की। इसलिये, यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार के दिनांक 08.02.1999 के संकल्प(रिट याचिका का अनुलग्नक-4)जिस हद तक सिफारिश स्वीकार की गई है, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिये और आगे प्रार्थना की गई कि राज्य सरकार को पशु चिकित्सकों को बिहार पशुपालन सेवा के बेसिक ग्रेड में सेवारत लोगों के लिए संशोधित वेतनमान 8000-13,500/-रूपये और वेतनमान 10,000-15,200/-रूपये, जूनियर/सीनियर में सेवारत लोगों के लिये 12,000-16,500/-रूपये बेसक एंट्री ग्रेड का चयन

गेड देने का निर्देश दिया जाए। एसोसिएशन के ये सभी सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत चयनित पशु चिकित्सक है और राज्य के पशुधन की देखभाल के लिए पशु चिकित्सा चिकित्सक/सर्जन के रूप में बिहार राज्य की सेवा के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये थे।बिहार राज्य के कर्मचारियों के वेतनमान को समय-समय पर संशोधित किया गया है और अंतिम वेतन संशोधन वर्ष 1998 में प्रभावी हुआ था। राज्य सरकार अपने सदस्यों को अनुदान देने के लिए विभिन्न कर्मचारी संघों और संघों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार कर रही है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वालें केंद्रीय वेतनमान और प्रमोशन लाभ अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशनल लाभ देने पर सैद्घांतिक सहमति बनी और राज्य सरकार ने एक फिटमेंट/वेतन संशोधन समिति भी नियुक्त की। उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस समिति ने प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय वेतनमान की सिफारिश की, बेसिक ग्रेड में 2200-4000/-रूपये और जूनियर/सीनियर सेलेक्शन ग्रेड में 3,000-4,500/-रूपये और 3,700-5,300/-रूपये और सुपर टाइम सलेक्शन ग्रेड में 4,100-5,300/-रूपये की शिफारिश की। इसके बाद बिहार राज्य ने 02.01.1998 को एक और संकल्प जारी किया और अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा शर्तों के साथ केन्द्रीय वेतनमान की अनुमति देने के लिये सैद्घांतिक रूप से सहमति व्यक्त की और इस आशय के एक समझौते पर राज्य सरकार और

राजपत्रित अधिकारी महासंघ और राज्य के बीच हस्ताक्षर किए गए। सचिवालय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और तदनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में सशोधन के लिए सिफारिशें करने के लिए एक फिटमेंट समिति का गठन किया गया था, जिनके वेतनमान पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किए गए थे जो दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी थे। फिटमेंट कमेटी ने उत्तरदाताआेंं के दावे पर विचार किया और 6,500-10,500/- रूपये के वेतनमान की सिफारिश की। बिहार पशुपालन सेवा के बेसिक/एंट्री ग्रेड के लिए यह एसोसिएशन को स्वीकार्य नहीं था और यह प्रस्तुत किया गया था कि इस फिटमेंट कमेटी की सिफारिशें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुसंशित वेतनमान के विपरीत थी, जिसने भारतीय पशु चिकित्सा सेवा के पशु चिकित्सकों के बेसिक ग्रेड में 8,500-13,500/-रूपये के उच्च वेतनमान देने की सिफारिश की थी। अतः बिहार राज्य में बेसिक ग्रेड में सेवारत पशु चिकित्सकों को भी 8,000-13,500/-रूपये के वेतनमान में फिट किया जाना चाहिए था, इसी तरह, यह दावा किया गया कि अन्य पदोन्नति पदों के लिए वेतनमान पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर लगाया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 2.2 के Para 6 में पाया गया है कि यूटी सिविल/पुलिस सेवा के प्रवेश ग्रेड के लिए 2200-4,000/-रूपये का उच्च वेतनमान देने की पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को भारत

सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया था कि यदि इसे केन्द्र शासित प्रदेश सिविल सेवाओंेे के लिए अनुमति दी गई होती तो राज्य के लिए बिहार राज्य प्रशासनिक/पुलिस सेवा के समान वेतनमान को मूल प्रवेश ग्रेड में देना संभव होता। दो सेवाएं, फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.2.10 और 2.8.1 में बिहार पशुपालन सेवा के बेसिक एंट्री ग्रेड के लिए 6,500-10,500/-रूपये के नीचले पैमाने की सिफारिश की, क्योंकि तुलना करने पर उक्त सेवा अन्य के समान पाई गई। राज्य सरकार के संकल्प दिनांक 28.02.1989 में प्रतिवादी-संघ की दलील यह थी कि बिहार पशुपालन सेवा के सदस्यों को वही वेतनमान दिया जाना चाहिए जो भारतीय पशु चिकित्सा सेवा के लिए स्वीकार्य है, यानि 8,000-13,500/-रूपये, जैसा कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुसंशित है। और भारतीय पशु चिकित्सा सेवा के सदस्यों को प्रदान किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि फिटमेंट कमेटी का काम केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमान की सिफारिश करना था, लेकिन इसके बजाए फिटमेंट कमेटी ने कम वेतनमान की सिफारिश की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि बिहार पशुपालन सेवा में में सेवारत पशु चिकित्सकों को 8,000-13,500/-रूपये का वेतनमान दिया जाना चाहिए। वैसे ही भारतीय पशु चिकित्सा सेवा के सदस्यों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान

की समानता के आधार पर दिया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश के इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं द्वारा 2007 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 886 को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

04. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है। हम यह समझने में असफल हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा सेवा के सदस्यों और बिहार पशुपालन सेवा के सदस्यों के बीच समानता कैसे बनाई जा सकती है। इस राज्य सेवा के सदस्यों को 6,500-10,500/-रूपये का वेतनमान अनुमत किया गया है। बिहार पशुपालन सेवा के ये कर्मचारी भी राज्य प्रशासनिक सेवा के समकक्ष हैं, अतः उन्हें राज्य सेवा से अधिक वेतनमान नहीं मिल सकता। फिर भी फिटमेंट कमेटी ने इन पशु चिकित्सकों सहित बिहार राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए 6,500-10,500/-रूपये के संशोधित वेतनमान की सिफारिश की है। वेतन आयोगों की सिफारिशों पर राज्यों में वेतनमान समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। किसी विशेष श्रेणी की सेवा में समानता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। वेतन आयोग को राज्य की विभिन्न सेवाओंे के वेतनमानों पर विचार करना होता है और फिर राज्य में वेतनमान का एक पदानुक्रम बनाना होता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान या दो राज्यों के बीच भी समान वेतनमान होना संभव नहीं है। वेतनमान मूलतः

सरकार के संशाधनों पर निर्भर करता है। यह हमेशा संभव नहीं है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संसाधन समान हों या दो राज्यों के बीच भी। इसलिए, वेतनमान तय करने और सिफारिश करने के लिए फिटमेंट कमेटी को सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा। यह सच है कि फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि फिटमेंट कमेटी को राज्य की आर्थिक बाधाओं और विकास कार्यक्रमों के संसाधनों की आवश्यकता पर विचार किए बिना सिफारिश करने की आवश्यकता थी और यह भी प्रचारित किया गया था कि फिटमेंट कमेटी ऐसा नहीं करती हैं। वित्तीय परिणामों की बाधा है लेकिन इसके बावजूद समिति ने विस्तृत चर्चा के बाद 6,500-10,500/-रूपये के वेतनमान की सिफारिश की है और प्रतिवादी संघ के सदस्यों को समान वेतनमान प्रदान किया गया है। यह बताया गया कि पशु चिकित्सा अधिकारी का पद उन चिकित्सा अधिकारियों के बराबर है जिन्हें एमबीबीएस डिग्री उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त किया जाता है और इन डाॅक्टरों को उनके मूल वेतन का 25% गैर-प्रेक्टिसिंग भत्ते के रूप में दिया जाता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुये फिटमेंट कमेटी ने पहले ही इन कर्मचारियों को बिहार राज्य के समूह 'बी' अधिकारियों के लिए स्वीकार्य वेतनमान 6,500-10,500/-रूपये की सिफारिश की है। **हाल ही में एस सी चन्द्रा व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य[(2007)8 एससीसी 279]** इस न्यायालय ने (जिसमें हममें से एक पक्ष था) वेतनमान में समानता और वेतनमान के निर्धारण के प्रश्न की

जांच की। **हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज मामले** में इस न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला देते हुये(2003)6,एससीसी 123], इस न्यायालय ने माना कि समान वेतन पाने के लिए दो समूहों के बीच पूर्ण और ठोस पहचान होनी चाहिए। इस विषय पर इन सभी मामलों की जांच करने के बाद इस न्यायालय ने पाया है कि वेतनमान देना पूरी तरह से कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उचित मंच एक विशेषज्ञ निकाय है और वर्तमान मामले में विशेषज्ञ निकाय ने विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद 6,500-10,500/-रूपये के वेतानमान की सिफारिश की है। विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ को उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। एससीचंद्र एवं अन्य में। (सुप्रा) इस न्यायालय का यह विचार है किः

"यह पता लगाने के लिए कि क्या पूर्ण और थोक पहचान है, उचित फोरम एक विशेषज्ञ निकाय है, न कि रिट कोर्ट, क्योंकि इसके लिए व्यापक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्घांतों की यांत्रिक व्याख्या बडी व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा करती है। अदालतों को यह महसूस करना चाहिए कि यह काम कठिन और समय दोनों लेने वाला है, जो अपेक्षित विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की सहायता लेने वाले विशेषज्ञों के लिए भी करना मुश्किल है। न्यायालय द्वारा वेतन समानता देने से व्यापक प्रभाव और प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते है।"

इसलिए, फिटमेंट कमेटी ने बिहार राज्य की स्थितियों और केन्द्र सरकार की सेवाओं की तुलना में पशु चिकित्सकों और अन्य सेवाओं द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुये एक संतुलन बनाने का कार्य किया है और सिफारिश की है। फिटमेंट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए विभिन्न साक्ष्यों को देखने के बाद 6,500-10,500/-रूपये वेतनमान की सिफारिश की गई। इसलिए, इस निष्कर्ष को बाधित करना उचित नहीं था और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की ओर से इसमें हस्तक्षेप करना सही था। यदि अदालतें किसी विशेष श्रेणी की सेवा में वेतनमान की सिफारिशों को बाधित करना शुरू कर देती हैं तो इसका सभी संबंधित सेवाओंेे पर व्यापक प्रभाव पडने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप विविध मुकदमेबाजी हो सकती है। फिटमेंट कमेटी ने कवायद शुरू की है और बिहार राज्य में वेतनमान के थोक संशोधन की सिफारिश की है और यदि सेवा की एक श्रेणी को उठाया जाता है और केन्द्र सरकार में उपलब्ध उच्च वेतनमान दिया जाता है तो पूरा सन्तुलन गडबडा जायेगा और अन्य सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में जटिल स्थिति पैदा होगी और राज्य का वित्त बर्बाद हो सकता है। इसलिए, फिटमेंट कमेटी की सिफारिश में विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

05. हमारी उपरोक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप, हम इस अपील को

स्वीकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश रद्द करते हैं और उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सावित्री सिंह, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।